तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो किस हुक्म तामील में ज
2-5-18	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 15-5-18 केम्प खैरूला को पेश हो।	
15-5-18	पत्रावली लोक अदालत केम्प खैरूला में पेश हुई। प्रतिवादी नं0 1 बजरंगलाल एवं वादी प्रहलाद का पुत्र सीताराम मजमें आम में उपस्थित। सीताराम ने कथन किये कि उसके पिता प्रहलाद की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके एक पुत्र चार पुत्रियां एवं बेवा कायम मुकामान है। वादी नं0 1 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। प्रकरण के सम्बन्ध में उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिवादीगण वादी को वाके ग्राम भूडेन तहसील दीगोद की आराजी ख0नं0 208 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 224 रकबा 0.97 हे0 भूमि के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें, काश्त करनें में व्यवधान पैदा नहीं करें और वादीगण की उक्त भूमि की मेड को तोड कर रास्ता नहीं निकाले और फसल नष्ट नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपनें प्रतिनिधि द्वारा ही करावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादीगण विवादित आराजी के अभिलिखित सहखातेदार राजस्व अभिलेख में अंकित है तथा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध प्रकट नहीं होता है। उभयपक्ष को सुनें जानें के बाद प्रकरण में मूल विवाद भूमियों की सीमाओं को लेकर होना जाहिर आता है। जिसे उभयपक्ष की सीमाओं का सीमाज्ञान करवाया जाकर निपटाया जा सकता है। अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम भूडेन तहसील दीगोद की आराजी ख0नं0 208 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 224 रकबा 0.97 हे0 भूमि एवं प्रतिवादीगण की भूमि का उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जावें। बाद सीमाज्ञान उभयपक्ष अपनी–अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज काश्त रहे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सीताराम के S/o प्रहलाद (वादी सं॰)

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प खैरूला

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र कालूलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1. सीताराम पुत्र प्रहलाद
   1/2. बसन्तीबाई बेवा प्रहलाद
   1/3. मूर्तिबाई पुत्री प्रहलाद
   1/4. मंजूबाई पुत्री प्रहलाद
   1/5. इन्द्राबाई पुत्री प्रहलाद
   1/6. राजेश बाई पुत्री प्रहलाद
2. कन्या बाई पुत्री कालूलाल
3. प्रेमबाई पुत्री कालूलाल जाति नाई निवासी गण भूडेन तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र धूलीलाल
2. रामदयाल पुत्र बजरंगलाल
3. धनराज पुत्र बजरंगलाल
4. इन्द्रराज पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासीगण भूडेन तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 90/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री भारत शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम भूडेन तहसील दीगोद की आराजी ख0नं0 208 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 224 रकबा 0.97 हे0 भूमि एवं प्रतिवादीगण की भूमि का उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जावें। बाद सीमाज्ञान उभयपक्ष अपनी–अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज काश्त रहे।" तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

Scanned by CamScanner

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 15.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प अजूंह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner